प्रेस विज्ञप्ति
30.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने आयुष्मान भारत आरोग्य जन मंत्री प्रधान –) योजनाएबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत असम राज्य में व्यापक पैमाने पर किए गए धोधाधड़ी से संबंधित जाँच के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुल मूल्य लगभग रुपये 29.77 लाख के अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी की जांच अलगापुर थाना, हैलाकंड़ी, असम में दर्ज प्राथमिकी तथा उसके उपरांत डॉ इस्लाम नोजमुल . चौधरी, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अलगापुर, हैलाकंड़ी के मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी धारा तथा (468 (धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से कूटरचना (, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग हैं अपराध अनुसूचित अंतर्गत के 'ए', के अधीन अपराध करने के संबंध में दायर आरोपपत्र के आधार पर प्रारंभ की गई थी।

ईडी की जांच में यह उद्घाटित हुआ कि नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसे असम में लागू आयुष्मान भारत) योजना आरोग्य जन मंत्री प्रधान –एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत अटल अमृत अभियान सोसाइटी)एएएएस) के माध्यम से पैनल में शामिल किया गया था, ने 22.02.2019 से 05.11.2022 की अवधि के दौरान किसी भी लाभार्थी को वास्तविक चिकित्सा उपचार प्रदान किए बिना लगभग रुपये 77.83 लाख की राशि के 920 फर्जी प्रतिपूर्ति दावे धोखाधड़ीपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए थे। अस्पताल ने योजना का सुनियोजित रूप से दुरुपयोग करते हुए एबी–पीएमजेएवाई कार्डधारकों को प्रलोभन देकर अस्पताल के बिस्तरों पर लिटाकर उनकी तस्वीरें लीं ताकि भर्ती होने का झूठा चित्रण प्रस्तुत किया जा सके, तथा लेन) प्रणाली प्रबंधन देन–टीएमएस) पोर्टल पर कूटरचित उपचार अभिलेख अपलोड किए, ताकि ऐसे उपचार व्ययों के लिए प्रतिपूर्ति दावे उत्पन्न कर प्रस्तुत किए जा सकें, जो वास्तविक रूप से कभी वहन ही नहीं किए गए थे।

अटल अमृत अभियान सोसाइटी द्वारा 69.42 लाख रुपये (लगभग) (टीडीएस की कटौती के उपरांत) की शुद्ध राशि केनरा बैंक, हैलाकंड़ी शाखा में संचालित अस्पताल के बैंक खातों में संवितरित की गई। जांच में धन के प्रवाह (मनी ट्रेल) का पता लगाया गया तथा यह स्थापित किया गया कि अपराध की आय को एटीएम के माध्यम से नकद निकासी करके, आरोपी के एक्सिस बैंक में संचालित व्यक्तिगत बैंक खाते में राशि अंतरण करके, विभिन्न व्यक्तियों के साथ यूपीआई लेनदेन– करके, तथा आरोपी के भाई सहित संबद्ध व्यक्तियों को धन अंतरण करके व्यवस्थित रूप से हेराफेरी तथा धनशोधन किया गया। इसके उपरांत इन बैंक खातों में जमा राशि को समाप्त करते हुए बंद कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धन के आपराधिक स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से धन का परतन (लेयर) किया गया और उसे तितर–बितर करने का सुनियोजित प्रयास किया गया था।

जांच में यह भी उद्घाटित हुआ कि नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों का पता अटल अमृत अभियान सोसाइटी की टीम द्वारा किए गए एक लाभार्थी ऑडिट के उपरांत चला, जिसमें पाया गया कि अस्पताल द्वारा प्रस्तुत अधिकांश भुगतान दावे असत्य एवं कूटरचित थे। जिन लाभार्थियों को दावों में आंतरिक रोगी (इनडोर पेसेन्ट) के रूप में दर्शाया गया था, वे वास्तविक रूप से केवल बाह्य रोगी)आउट पेसेन्ट) के रूप में अस्पताल गए थे तथा कभी भी भर्ती नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, 21.11.2022 के आदेश के माध्यम से अस्पताल को एबी–पीएमजेएवाई योजना के पैनल से निष्कासित कर दिया गया तथा एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अस्पताल तत्पश्चात वर्ष 2023 से बंद है।

जांच में यह स्थापित हुआ है कि अपराध की आय को जल्दी से नष्ट कर दिया गया था तथा अस्पताल के बैंक खातों में जमा राशि को समाप्त कर बैंक खाता बंद कर दिया गया। ईडी ने अपराध की आय के प्रत्यक्ष रूप से अनुपलब्ध होने के कारण, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) में यथापरिभाषित ऐसे आय के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को कुर्क किया है।

आगे की जांच जारी है।